8

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 307/2022

लीलाधर कुमावत पुत्र श्री छोटूराम कुमावत, निवासी वार्ड नं0 2, कस्बा खेतडी, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 28.09.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 15.09.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 307/2022 पर दिनांक 15.09.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/4598—99 दिनांक 15.09.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी ने पत्रांक सू0अ0अ0/22/531 दिनांक 22.09.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री लीलाधर कुमावत पुत्र श्री छोटूराम कुमावत, निवासी वार्ड नं0 2, कस्बा खेतडी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही थी। अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आवेदन पत्र इस कायालय मे दिनांक 02.08.2022 को प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र मे वर्णित सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सू0अ0अ0/22/468 दिनांक 30.08.2022 के द्वारा निर्धारित अवधि मे ही उपलब्ध करवा दी गई थी। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी ने पत्रांक सू0अ0अ0/22/531 दिनांक 22.09.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री लीलाधर कुमावत पुत्र श्री छोटूराम कुमावत, निवासी वार्ड नं0 2, कस्बा खेतडी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही थी। अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आवेदन पत्र इस कायालय मे दिनांक 02.08.2022 को प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र मे वर्णित सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सू0अ0अ0/22/468 दिनांक 30.08.2022 के द्वारा निर्धारित अवधि मे ही उपलब्ध करवा दी गई थी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्या... नाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.28 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं